बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9473191199~~, 9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द पार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 39 दिनांक 12-9-2013

सेवा में,

श्री अंजनी कुमार सिंह, भा.प्र.से.
माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः- बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव का स्वीकृत पद रिक्त रहने के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में वर्ष 2013 मे रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	वर्ष 2013 में दी गयी प्रोन्नति के बाद रिक्त पद
1.	विशेष सचिव	24	5
2	संयुक्त सचिव	131	58
		कुल	63

उपरोक्त पदों के रिक्त रहने से एक ओर जहाँ सरकार का कार्य वाधित हो रहा है वही दूसरी ओर मूल कोटि में स्वीकृत पद 313 के विरूद्ध वर्तमान संख्या बल 829 है जो वास्तविक स्वीकृत पद से 516 पदाधिकारी Surplus है। उपरोक्त पद रिक्त रहने के कारण मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति भी नहीं हो रही है जबकि मूल कोटि में अभी 36 बैच के शेष पदाधिकारी, 37वीं, 38वी, 39वी, 40वी, 41वी, 42वी वैच के पदाधिकारी जिनकी सेवा क्रमशः 21, 20, 18, 17, 16, 14, 13 वर्ष हो चुकी है ये अभी भी मूल कोटि में ही है जबकि कालावधि के अनुसार उन्हें विशेष सचिव से अपर समाहर्त्ता स्तर पर होना चाहिए। इसी प्रकार 34वीं बैच के शेष, 35वी बैच एवं 36वी बैच के पदाधिकारी अभी तक उप सचिव स्तर के पद पर है जबकि इनकी सेवा क्रमशः 24, 23 एवं 21 वर्ष हो चुकी है कालावधि के अनुसार उन्हें विशेष सचिव स्तर पर होना चाहिए था। दूसरी ओर तथ्य यह है कि वर्तमान में विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव क्रमशः 5 एवं 58 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने हेतु कालावधि में छूट देने की आवश्यकता है। यह समस्या बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन 01.04.10 को होने के उपरान्त स्वीकृत पद 2878 के घटकर 851 होने से उत्पन्न हुई जबकि सेवा पुनर्गठन के कंडिका (6) में वर्णित है कि ‘‘बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुर्नगठन के फलस्वरूप पदों का अवक्रमण/उत्क्रमण/सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समस्याओं

के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होगें" यह भी सत्य है कि सेवा पुनर्गठन 01.04.10 के उपरान्त आज की तिथि में मूल कोटि के एक भी पदाधिकारी की प्रोन्नति उप सचिव स्तर में नहीं हुई है।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में संघ का भवदीय से विन्रम आग्रह है कि उपरोक्त समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कालावधि में छूट प्रदान करायी जाए ताकि स्वीकृत पद के अनुसार प्रोन्नति हो सके।

उपरोक्त विन्दु रखकर संघ ने कोई नई मांग नहीं रखा है बल्कि मात्र उत्पन्न समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त पूर्व में संघ द्वारा भवदीय को दिये गये ज्ञापन पत्रांक-04 दिनांक-08.02.13 के आलोक में संघ का प्रतिनिधि भवदीय से मिलना चाहता है। अनुरोध है कि अपने व्यस्तम समय से कुछ समय संघ को देने की महत्ती कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सुशील कुमार)
महासचिव

ज्ञापांक- 39 दिनांक- 12-9-2013

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु का समाधान करने की कृपा की जाए।

ह0/-
(सुशील कुमार)
महासचिव

ज्ञापांक- 39 दिनांक-12-9-2013

प्रतिलिपिः-सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव